# NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES (BSNL) MADHYA PRADESH, BHOPAL
# नैशनल फेडरेशन आफ टेलीकॉम एम्प्लाईज (बी.एस.एन.एल.) मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

रजि.नं.–4906

**हबीब खान**
परिमंडल सचिव
मो.नं.–9425015786,

पत्राचार : 2/97, पी. एण्ड टी. कॉलोनी,
बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्र.: 0755–2740888


क्रमांक : N.F.T.E.15-16/08 दिनांक 17-06-2015

प्रति,

**श्री राजेश गुप्ता,**
मुख्य महाप्रबंधक
दूरसंचार मध्यप्रदेश, भोपाल

**विषयः कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में आन्दोलन का ज्ञापन देने बावत्।**

**महोदय,**

सेवा में निवेदन है कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासन की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

1. परिमण्डल कार्यालय में वर्षों से मेडिकल लम्बित है, शीघ्र भुगतान करवाया जाये एवं परिमण्डल कार्यालय में आठ माह से कितने बिल पास किये हैं और कितने बिल लम्बित है, की सूची उपलब्ध करवाई जाये।

2. म.प्र. के सभी एस.एस.ए. के मेडिकल बिल, आउटडोर एवं इनडोर पेन्डिंग हैं, उसका तुरन्त भुगतान करवाया जाये। जैसे– सतना, शहडोल, शाजापुर, ब्यावरा, सिवनी, इटारसी, खण्डवा, खरगौन, सागर, छतरपुर, विदिशा, इटारसी, सिवनी, ग्वालियर आदि।

3. इंदौर मेडिकल जो एस.एस.ए. लिमिट के बाहर है, उन्हें सर्किल आफिस में बुलवाये जायें, जो कि वर्षों से पेन्डिंग हैं, जैसे ब्यावरा, विदिशा, ग्वालियर, सागर, भोपाल, इंदौर, शहडोल, सतना आदि।

4. दिनांक 01.01.2007 के पूर्व के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारी के एच.आर. नं. नहीं हैं, उनके बिलों पर प्रशासन पूर्ण रूप से ध्यान देकर शीघ्र भुगतान किया जावे, जैसे– ग्वालियर, विदिशा, सागर, सतना, शहडोल, भोपाल, इंदौर, खण्डवा, इटारसी, मंदसौर आदि।

5. विभागीय आदेश दिनांक 28.02.2003 के अनुसार इंडोर ट्रीटमेंट का बिल सीधे विभाग द्वारा किया जा सकता है, अतः इस वर्ष अस्पतालों से 'केश–लेस' का

अनुबंध किया जाए, जिससे कर्मचारियों के एडवांस मिलने में समय लगता है, जिससे कि बीएसएनएल को काफी नुकसान झेलना पड़ता है।

6. मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय एवं सी.एम.टी.एस. के कार्यालय में ग्रुप डी वर्कमेन की कितनी पोस्ट सेक्शन है एवं वर्किंग कितने हैं, खाली कितनी पोस्ट है, इसकी जानकारी यूनियन को दी जावे।

7. मुख्य महाप्रबंधक एवं सी.एम.टी.एस. के अंदर कितन वाहन शासकीय हैं, वाहन चालक कितने हैं, पद कितने खाली हैं और पदस्थ कितने हैं? काफी समय से गाड़ियों को ठीक कराकर उपयोग किया जाये।

8. अनुकम्पा नियुक्ति शीघ्र कराई जावे।

9. जिन वाहन चालकों की डी.पी.सी. बची हुई है, उनकी डी.पी.सी. पूर्ण कराई जावे जैसे- जबलपुर, ग्वालियर, दिगपाल सिंह सागर, अब्दुल हफीज खान सईद खान डब्ल्यू.पी.टी. प्रोजेक्ट आदि।

10. ई.आर.पी. के कारण अनेकों गल्तियाँ हो रही हैं, जैसे इंक्रीमेन्ट न लगना, जी.पी. एफ. में डबल कटिंग, बैंकों एवं सोसायटियों की डबल कटौती होती है, जिसे शीघ्र ही दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है।

11. ग्रुप-सी एवं डी कर्मचारियों के पेन्डिंग पैरा 38 ट्रांसफर शीघ्र किये जायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों में व्याप्त उपरोक्त समस्याओं के निराकरण शीघ्र कराने कराने एवं चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। यदि दिनांक 18 जुलाई 2015 तक कर्मचारी हित में उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो अन्ततः मजबूर होकर यूनियन को दिनांक 23 जुलाई से प्रदर्शन एवं 24 जुलाई से सर्किल आफिस पर धरना देने हेतु बाध्य होंगे।

धन्यवाद,

भवदीय

**(हबीब खान)**
परिमण्डल सचिव

संलग्न : अपील की छायाप्रति।

**प्रतिलिपि :**

1. जनरल सेक्रेटरी, एन.एफ.टी.ई. नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. सर्किल प्रेसीडेन्ट, ए.के. मिश्रा जी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

**(हबीब खान)**